संख्या-09 /2023 /502 /क0नि0प्र0 /26-3-2023-18(109)/2018

पत्रावली कम्प्यू0 नं0-1420010

प्रेषक

नन्द किशोर शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
महानगर, लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई,2023

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की घटक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि के व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-562 /पी0एम0-अजय/2023-24 दिनांक 24 जून, 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निर्गत हेतु अवशेष कुल रू0 55384.69 लाख शासनादेश संख्या-07/2022/551/क0नि0प्र0/26-3-2022-18(109)/2018 दिनांक 03 अगस्त, **2022** एवं शासनादेश संख्या-03/2023/124/क0नि0प्र0/26-3-2023-18(109)/2018 दिनांक 14 फरवरी, 2023 द्वारा एस0एन0ए0 खाते में जमा किये हेतु निर्गत की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक चयनित कुल 10384 ग्रामों में सर्वेक्षण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्राप्त कुल धनराशि में से राज्य, जिला एवं गांव स्तर पर प्रशासनिक और अन्य व्यय आदि हेतु अनुमन्य रू0 3050.62 लाख के सापेक्ष रू0 821.50 लाख की धनराशि पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है। अब प्रश्नगत योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) के खाते में जमा/ उपलब्ध धनराशि में से अवशेष रू0 2229.12 लाख **(रू0** बाइस करोड़ उनतीस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि को निगम के खाते में आहरित करने तथा ग्राम विकास योजना(वी0डी0पी0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण हेतु जनपदों को अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति/अनुमति प्रदान करते हैं:-

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध:-</u>

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में संबंधित योजनान्तर्गत जमा धनराशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1–227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 में निर्धारित दिशा निर्देशों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
6. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग सुनिश्चित करायी जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्दादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा। इसका निर्धारण एवं उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
11. उपर्युक्त स्वीकृत प्रशासननिक व्यय की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/प्रपत्रों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आधार पर प्रदान की जा रही है और इन अभिलेखों एवं प्रपत्रों की प्रमाणिकता का पूर्ण दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का होगा।

2- प्रश्नगत प्रशासनिक व्यय हेतु रू0 2229.12 लाख के व्यय की अनुमति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-07/2022/551 /क0नि0प्र0/26-3-2022-18(109)/2018 दिनांक 03 अगस्त, **2022** एवं शासनादेश संख्या-03/2023/124/क0नि0प्र0/26-3-2023-18(109)/2018 दिनांक 14 फरवरी,2023 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. कोषाधिकारी,कैसरबाग,लखनऊ / कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू.पी. सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 महानगर, लखनऊ।
9. श्री रमेश चन्द्र तिवारी, उप सचिव/ नोडल अधिकारी, (बजट एलाटमेन्ट सिस्टम) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in